न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 86/2021 बउनवानी मुकेश कुमार अग्रवाल बनाम लो.सू.अधि.एवं प्रभारी अधि.न्याय,अनु. पुत्र श्री केलाश चन्द ,निवासी 482 बैंक ऑफ बडौदा पीपलदा तहसील बौंली

GCMS No-2021/273

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
10.11.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 1.8.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. प्रार्थी द्वारा कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के यहॉ नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया था उक्त आवेदन पत्र व आवेदन पत्र पर की गयी कार्यवाही/प्रक्रिया की समस्त प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे। 2. वर्ष जनवरी,2018 से 2021 जुलाई तक दिये गए सवाईमाधोपुर जिलें मे नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र वाले व्यक्ति के नाम व पते उपलब्ध करावे। 3. वर्ष जनवरी,2018 से 2021 जुलाई तक जारी किये गये नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे। 4. प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र (नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र) मे लंबित कार्यवाही की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सू.का. अ./न्याय/2020/7054 दिनांक 29.10.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.8.2021 के बिन्दु संख्या 1 व 4 की सूचना कुल 30 पृष्ठों के लिए 60/–रू शुल्क जमा कराने हेतु लिखा जा चुका है। तथा बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना तृतीय पक्षकार की होने के कारण अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत देय नही होने के कारण अपीलान्ट को नही दी गयी है। जिसके संबंध में अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 5427 दिनांक 24.8.2021 से अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है। चूंकि कार्यालय मे उपलब्ध सूचना मे से देने योग्य सूचना हेतु शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करने हेतु लिखा जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 12.8.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2,3 की सूचना तृतीय पक्ष की होने के कारण अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत गोपनीय सूचना की श्रेणी मे होने के कारण दिया जाना सम्भव नही है तथा अतिरिक्त बिन्दु संख्या 1 व 4 की सूचना के लिए शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने हेतु पत्रांक 5427 दिनांक 24.8.21 से अपीलान्ट को लिखा गया है। मुताबिक रिपोर्ट कॉपिस्ट कार्यालय राजा अपीलान्ट द्वारा चाहा बिन्दु संख्या 1,4 की सूचना के लिए दिनांक 5.10.2021 शुल्क जमा कराने पर नकल तैयार की गयी जो अपीलान्ट द्वारा दिनांक 8.10.2021 को व्यक्तिशः प्राप्त कर ली गयी है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:54:38 IST
Reason: SelfAttested